

**न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक-737 / 2012

संस्थित दिनांक-20.08.2014

फाई. क.234503004722014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, रूपझर
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — **अभियोजन**// **विरुद्ध** //

लखन पिता मोहर यादव, उम्र-28 वर्ष,
निवासी ग्राम सुंदरवाही, थाना रूपझर जिला बालाघाट।

— — — — **आरोपी**// **निर्णय** //**(आज दिनांक 07/03/2018 को घोषित)**

01— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-456, 354, 506 भाग-2 का आरोप है कि उसने घटना दिनांक 23.02.2014 को रात के 12:00 बजे ग्राम सुंदरवाही प्रार्थिया का घर थाना रूपझर अंतर्गत फरियादिया श्रीमती मनिताबाई के रहवासी मकान जो साधारणतया मानव निवास के काम में आता था, में सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त के पूर्व प्रवेश कर रात्रि में प्रच्छन्न गृह अतिचार/गृह भेदन कर फरियादिया श्रीमती मनिताबाई की लज्जा भंग करने के आशय से फरियादिया का मुँह पकड़कर एवं उसके कपड़े खींचकर बुरी नियत से हमला/आपराधिक बल का प्रयोग कर तथा फरियादिया श्रीमती मनिताबाई को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रधान आरक्षक 282 मनोरंजन नगपुरे पुलिस चौकी सोनगुड्डा को चौकी प्रभारी सोनगुड्डा द्वारा अपराध क्रमांक 0/14 धारा 456, 354(क), 506 ता.हि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट असल नम्बरी कायमी हेतु दी गई। फरियादी मनिताबाई ग्राम सुन्दरवाही रहती है, जो दिनांक 23.02.14 दिन रविवार को अपने तीनों

बच्चों के साथ रात्रि में खाना खाकर सो गई थी और उसका पति कहीं बाहर गया था। उसके कमरे का लाईट जल रहा था, तभी करीब 12:00 बजे रात में एक व्यक्ति कमरे का दरवाजा का टेंगनी वाला पल्ला निकाल कर कमरे में घुसा जो कब्जे की आवाज सुनकर वह जाग गई थी तथा देखी तो उसका पड़ोसी लखन अहीर था, जो कमरे में घुसकर लाईट बंद कर दिया।

03— अभियोजन कहानी फरियादिया के अनुसार उसने पास में रखा टार्च जलाकर लखन पर चिल्लाई तो उसने उसे पकड़कर नीचे पटक दिया और उसका मुँह दबाकर बुरी नियत से कपड़े खींचतान करने लगा। उसने जैसे-तैसे अपने आप को छुड़ाकर जोर से चिल्लाने लगी कि लखन घर में घुस गया है, तब लखन उससे कहने लगा यदि उसने किसी को बताई तो वह उसे जान से खत्म कर कर देगा। हल्ला सुनकर पड़ोस की समलीबाई अहिर एवं सगनीबाई गोंड आये, जिन्हें देखकर लखन वहाँ से भाग गया। लखन के द्वारा पटकने से उसकी पीठ एवं गर्दन में दर्द हो रहा है। उसने लखन के डर के कारण घटना के बारे में दिनांक 01.03.14 को अपने पति को बताई एवं दिनांक 02.03.14 को अपने सास कुसमति बाई एवं पति गौतम के साथ चौकी जाकर रिपोर्ट दर्ज की। उक्त रिपोर्ट पर आरोपी लखन के विरुद्ध धारा-354(क), 456, 506 ता.हि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान मुतर्जर मुलाहिजा, घटनास्थल का निरीक्षण, साक्षीगण के कथन तथा प्रार्थिया के धारा-164 जा.फौ. के तहत कलमबंद बयान कराये गये। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया तथा प्रकरण में धारा-354 भा.द.वि. बढ़ाई गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान क्रमांक 59/14 दिनांक 28.06.14 को तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।

04— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-456, 354, 506

भाग-2 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्त ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

05- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न है:-

1. क्या आरोपी ने घटना दिनांक 23.02.2014 को रात के 12:00 बजे ग्राम सुंदरवाही प्रार्थिया का घर थाना रूपझर अंतर्गत फरियादिया श्रीमती मनिताबाई के रहवासी मकान जो साधारणतया मानव निवास के काम में आता था, में सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त के पूर्व प्रवेश कर रात्रि में प्रच्छन्न गृह अतिचार/गृह भेदन किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया श्रीमती मनिताबाई की लज्जा भंग करने के आशय से फरियादिया का मुँह पकड़कर एवं उसके कपड़े खींचकर बुरी नियत से हमला/आपराधिक बल का प्रयोग किया ?
3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया श्रीमती मनिताबाई को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

-:विवेचना एवं निष्कर्ष :-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01 से 03

सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 से 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

- 06-** साक्षी मनिताबाई अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपी लखन को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग साल भर पुरानी उसके घर की रात्रि के 12:00 बजे की है। वह घर में अकेली अपने बच्चों के साथ सो रही थी इतने में उसके घर में आरोपी लखन टंगिया का

दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया तो उसे आवाज आई आवाज सुनकर वह उठी और उसने टार्च जलाकर देखा तो वह आरोपी लखन था।

07— साक्षी मनिताबाई अ.सा.01 के अनुसार वह चिल्लाई तो आरोपी लखन उसके साथ खींचतान करने लगा था, इतने में उसकी पड़ोसी समलीबाई और सगनीबाई आई इतने में आरोपी भाग गया, जिसके संबंध में उसने चौकी सोनगुड्डा में रिपोर्ट लिखाई थी, जो प्रपी-01 है जिसके ए से ए भाग पर उसका अंगूठा निशानी है। पुलिस मौके पर आई थी और उसके बताये अनुसार घटनास्थल का मौका-नक्शा बनाया था, जो प्रपी-02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसका अंगूठा निशानी है। उसकी चोट के संबंध में ईलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे और उसने पुलिस को घटना के संबंध में बता दिया था।

08— साक्षी मनिताबाई अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपी का घर और उसका घर पास-पास है, आरोपी उसका रिश्तेदार है, घटना के पूर्व से आरोपी उसके घर आता-जाता रहता था। ऐसी घटना उसकी आरोपी के साथ पहले भी हुई थी, उसने सोचा कि आरोपी समझ जायेगा, इसलिये उसने रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उस दिन भी आरोपी पहले की तरह उसके घर में आया था, लेकिन समलीबाई और सगनीबाई दोनों ने देख लिया और उन्होंने रिपोर्ट लिखवाने की बोली तो उसने रिपोर्ट लिखाई थी। उसके बाद आरोपी गांव से भाग गया और जंगल में रहने चला गया।

09— साक्षी मनिताबाई अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझावा को स्वीकार किया है कि आरोपी घर से भाग गया इसलिये वह डर गई थी और उसने रिपोर्ट दर्ज करवा दी यदि आरोपी नहीं भागता तो वह रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाती, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है

कि चौकी वालों ने घटनास्थल का मौका नक्शा थाने में बैठकर बनाया था, पुलिस ने उसके बयान नहीं लिये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी समलीबाई और सगनीबाई को देखकर भाग गया यदि वह नहीं आते तो वह नहीं भागता।

10— साक्षी सगनीबाई अ.सा.02 तथा साक्षी समलीबाई अ.सा.03 ने कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी लखन तथा प्रार्थी मनीताबाई को जानती है। घटना की उन्हें जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उनके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षीगण से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 23.02.14 के रात्रि 12:00 बजे की है, मनीताबाई के घर से जोर-जोर से चिल्लाने की आवाज आने पर वह उनके घर गयी थी, हल्ला सुनकर मंगलू बैगा मनीताबाई के घर गया था, जब वह मनीताबाई के घर गई थी, तब आरोपी मनीताबाई के घर से निकलकर भाग गया था, तब उन्हें मनीताबाई ने बताई थी कि आरोपी लखनसिंह उसके घर के दरवाजे का पल्ला निकालकर उसके घर में घुसकर उसे जमीन में पटककर बुरी नियत से कपड़े खींचतान किया था, मनीताबाई ने उन्हें बताया था कि आरोपी लखन कह रहा था कि यदि किसी को बताई तो जान से खत्म कर देगा, मनीताबाई के द्वारा घटना की बात बताने के बाद उन्होंने मनीताबाई को और उसके बच्चों को अपने घर ले जाकर सुलाये थे। साक्षीगण ने उनका पुलिस कथन प्रपी-02 एवं 03 पुलिस को न देना व्यक्त किया।

11— साक्षी गौतम अ.सा.04 ने कथन किया है वह आरोपी को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब तीन वर्ष पूर्व रात्रि के समय 12:00 बजे ग्राम सुन्दरवाही में उसके घर की है। घटना के समय उसकी पत्नि बच्चों के साथ घर में अकेली सो रही थी। वह सोनगुड्डा बाजार गया हुआ था तथा उसकी माँ भी बाहर गई हुई थी। अगले दिन वह

घर पहुँचा तो उसकी पत्नि मनीषा ने बताया कि रात्रि करीब 11:00 बजे आरोपी दरवाजे की कुंडी निकालकर घर में घुस गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। मनीषा के चिल्लाने पर पड़ौसी मंगलू, सगनी और समली आ गये थे, तब आरोपी वहाँ से भाग गया था। फिर वह अपनी पत्नि के साथ सोनगुड्डा चौकी घटना की शिकायत दर्ज कराने गया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसका बयान ली थी।

12— साक्षी गौतम अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना की तारीख उसे याद नहीं है, आरोपी लखन उसका रिश्तेदार है और पड़ौसी है, आरोपी का उसके घर में आना-जाना होता था। उसे रात में घटना होने के बाद सुबह घर पहुँचने पर उसकी पत्नि ने उसे घटना के बारे में बता दिया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस को उसने अपने पुलिस बयान में घटना के बाद बता दिया था। यदि उसके पुलिस बयान में घटना के आठ दिन बात घटना की बात बताना लेख हो तो वह इसका कारण नहीं बता सकता। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपी को उसकी पत्नि मनीषा ने अपनी मर्जी से बुलाई हो तो उसे इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि वह अपने घर पर नहीं था, आरोपी उसके घर में उसके नहीं रहने में भी आता-जाता रहा होगा तो उसे इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि वह बाहर रहता था।

13— साक्षी गौतम अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि घटना में मनीषा की सहमति हो तो उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि यदि उसे मनीषा ने घटना की जानकारी गलत बताई हो तो उसे जानकारी नहीं है क्योंकि वह घटना के समय उपस्थित नहीं था, वह मनीषा और पड़ौसियों के बताये अनुसार घटना की बात बता रहा है, यदि आस-पास के पड़ौसी एवं आरोपी के बीच पुरानी रंजिश होने के कारण उसे उन लोगों ने घटना की गलत जानकारी दिये हो

तो उसे इसकी जानकारी नहीं है।

14— साक्षी मंगलू अ.सा.05 ने कथन किया है वह आरोपी एवं प्रार्थी को जानता है। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 23.02.2014 रात्रि के समय जब अपने घर पर सोया था, तभी करीब 12:00 बजे रात में पड़ौस के मकान से मनिताबाई की चिल्लाने की आवाज आने पर वह टार्च लेकर बाहर निकला तो मनिताबाई के घर में आरोपी दिखाई दिया, जिसे पड़ौस की सगनीबाई और समलीबाई ने भी देखा, उन तीनों को देखकर आरोपी अपने घर की तरफ भाग गया और मनिताबाई ने बताया कि आरोपी ने दरवाजे का पल्ला निकालकर घर में घुसकर बुरी नियत से उससे खींचतान की थी और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी, फिर वह अपने घर चला गया था। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.04 पुलिस को देने से इंकार किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसका आरोपी से समझौता हो गया है इसलिये असत्य कथन कर रहा है।

15— साक्षी अड़कू अ.सा.06 ने कथन किया है वह आरोपी एवं प्रार्थी को जानता है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.05 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने आरोपी को हथकड़ी लगे हुये लॉकअप के अंदर नहीं देखा था, उसने पुलिस के कहने पर प्र.पी.05 पर हस्ताक्षर कर दिया था, उसने प्र.पी.05 को पढ़कर नहीं देखा था और पुलिस वालों ने उसे पढ़कर नहीं बताये थे।

16— साक्षी कुशमती अ.सा.07 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानती है। घटना करीब तीन वर्ष पूर्व रात्रि के समय ग्राम सुन्दरवाही की है। घटना के समय आरोपी ने उसके घर आकर उसकी बहू के साथ विवाद

किया था। उसने घटना नहीं देखी थी, क्योंकि वह बाहर गई हुई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। घटना के समय आरोपी ने क्या किया था वह नहीं बता सकती, क्योंकि उसने घटना नहीं देखी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसकी बहू ने उसे गलत जानकारी दी हो तो वह नहीं बता सकती, उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है तथा पुलिस ने उसके बयान नहीं लिये थे।

17— साक्षी योगेन्द्र सिंह अ.सा.08 ने कथन किया है कि वह दिनांक 03.03.2014 को पुलिस चौकी सोनगुड्डा थाना रूपझर में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उसे अपराध क्रमांक 28/14 धारा-354ए, 456, 506 भा.द.वि. के अपराध की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। उसने उक्त दिनांक को फरियादिया मनिताबाई पति गौतम यादव जाति अहिर निवासी सुंदरवाही के बताये अनुसार घटनास्थल का मौका-नक्शा तैयार किया था, जो प्रपी-02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा विवेचना के दौरान फरियादिया मनिताबाई, साक्षीगण गौतम, समलीबाई, सगनीबाई, मंगलू, कुसमतिबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये थे। विवेचना के उपरान्त उसने न्यायालय में चालान पेश किया।

18— साक्षी योगेन्द्र सिंह अ.सा.08 के अनुसार प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट उपनिरीक्षक हरीसिंह ठाकुर द्वारा लेखबद्ध की गई है, जिनके हस्ताक्षर से वह साथ कार्य करने के कारण परिचित है। श्री ठाकुर ने दिनांक 02.03.2014 को चौकी सोनगुड्डा में प्रार्थी मनिताबाई द्वारा आकर मौखिक शिकायत दर्ज कराने पर आरोपी लखन के विरुद्ध अपराध क्रमांक 0/14 की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा-456, 354क, 506 भा.द.वि. की लेखबद्ध की थी, जिसके बी से बी भाग पर उपनिरीक्षक हरीसिंह ठाकुर के हस्ताक्षर हैं। रिपोर्ट लेखबद्ध करने के पश्चात असल कायमी हेतु थाना रूपझर प्रेषित करने के पश्चात श्री ठाकुर द्वारा प्रकरण की केस डायरी अग्रिम विवेचना हेतु

थाना प्रभारी को प्रस्तुत की गई।

19— साक्षी योगेन्द्र सिंह अ.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने मौका-नक्शा फरियादिया मनीताबाई के बताये अनुसार तैयार किया था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि यदि फरियादिया ने आरोपी को फंसाने के लिये मौका नक्शा बतायी होगी तो उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने किसी भी स्वतंत्र साक्षी को मौका-नक्शा में साक्ष्य के रूप में नहीं लिया है, किन्तु साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि इस प्रकरण में उसने संपूर्ण साक्षियों के कथन अपने मन से दर्ज कर लिया था, साक्षीगण ने कोई कथन नहीं किया था, वह आरोपी से मिल गया था, इसलिये संपूर्ण विवेचना आरोपी के बताये अनुसार किया है, संपूर्ण विवेचना उसने पुलिस चौकी सोनगुड्डा में किया है।

20— साक्षी योगेन्द्र सिंह अ.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उपनिरीक्षक ठाकुर द्वारा उसके सामने प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध नहीं की गई थी, उनके हस्ताक्षर से परिचित होने के कारण वह उक्त जानकारी दे रहा है, उपनिरीक्षक ठाकुर द्वारा आरोपी के विरुद्ध झूठी शिकायत दर्ज की गई, प्रार्थिया द्वारा उपनिरीक्षक ठाकुर को कोई जानकारी नहीं दी गई थी और श्री ठाकुर द्वारा अपने मन से प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी।

21— प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 करीब एक सप्ताह पश्चात दर्ज कराई गई है, जिस संबंध में कोई उचित स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है। यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में विलंब का कारण आरोपी का डर उल्लिखित है, तथापि स्वयं परिवादी मनीता अ.सा.01 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि समलीबाई और सगनीबाई को देखकर आरोपी के भागने के कारण उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी अन्यथा वह रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाती। परिवादी के पति गौतम अ.सा.04 ने भी व्यक्त किया है कि घटना

के अगले दिन उसे उसकी पत्नि ने घटना के बारे में बता दिया था, जिसके पश्चात वह सोनगुड्डा चौकी घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने गया था और उसी दिन उसने अपने पुलिस कथन में तत्संबंध में बता दिया था।

22— परिवादी मनीता अ.सा.01 द्वारा अपने न्यायालयीन कथन में प्रथम सूचना रिपोर्ट और पुलिस कथन से भिन्न कथन कर मात्र खींचतान करना व्यक्त किया गया है, जिस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। साथ ही परिवादी द्वारा आरोपी द्वारा किसी प्रकार की धमकी के संबंध में कथन न कर स्वयं आरोपी के पड़ोसियों के देख लेने के कारण डरकर भाग जाने पर रिपोर्ट करना व्यक्त किया है। परिवादी मनीता अ.सा.01 के प्रतिपरीक्षण में आये तथ्यों से उसकी साक्ष्य घटना के संबंध में विष्वसनीय प्रतीत नहीं होती। घटना का अन्य कोई साक्षी नहीं है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 अत्यंत विलंब से लेख है, जिस संबंध में कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं है, जिससे संपूर्ण घटनाक्रम संदिग्ध प्रतीत होता है।

23— फलतः अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया श्रीमती मनिताबाई के रहवासी मकान जो साधारणतया मानव निवास के काम में आता था, में सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त के पूर्व प्रवेश कर रात्रि में प्रच्छन्न गृह अतिचार/गृह भेदन कर फरियादिया श्रीमती मनिताबाई की लज्जा भंग करने के आशय से फरियादिया का मुँह पकड़कर एवं उसके कपड़े खींचकर बुरी नियत से हमला/आपराधिक बल का प्रयोग कर तथा फरियादिया श्रीमती मनिताबाई को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अतः अभियुक्त लखन को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-456, 354, 506 भाग-2 के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

24— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

25— प्रकरण में आरोपी विवेचना एवं विचारण के दौरान दिनांक 24.06.2014 से 03.07.2014 तथा दिनांक 20.06.2016 से दिनांक 29.08.2016 तथा दिनांक 20.02.2018 से दिनांक 07.03.2018 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है। उक्त संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

26— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन पर टंकित किया।
दिनांकित कर घोषित किया गया।

सही / —
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट

सही / —
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी
श्रेणी / विधिक उप